रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2007/अग्रहायण 26, 1929 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 255
No. 216] DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2007/AGRAHAYANA 26, 1929 [N.C.T.D. No. 255

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2007

सं. फा. 11/10/2000/रा./मं.आ./6032.—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 7 (1954 का अधिनियम 12) एवं उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 (1901 का उ.प्र. अधिनियम 3) जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लागू है और पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1) बी, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लागू है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, सहकारी समिति विभाग में श्री तेजपाल, दानिक्स अधिकारी को जब तक वे सहकारी विभाग में अपने क्रमिक पदों पर बने रहते हैं या अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दिल्ली सहकारी विभाग से संबंधित दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बकाया ऋण वसूली के लिए सहायक कलैक्टर ग्रेड-I एवं वसूली अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश(मुख्यालय)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th December, 2007

F. No. 11 (10)/2000/Rev./DC/60[illegible] exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) and S[illegible] the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (UP Act III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi a[illegible]ause (b) of Sub-Section (1) of Section 27 of the P[illegible]b Land Revenue Act, 1887, as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Sh. Tej Paul, DANICS Officer working as Assistant Registrar in the Co-Operative Societies Department of the Government of NCT of Delhi, as Assistant Collector Gr.-I and Recovery Officer under the said Acts for the purpose of

Scanned by CamScanner

recovery of such amount(s) is/are recoverable as arrears of Land Revenue under the Delhi Co-Operative Societies Act, 2003, so long as the officer holds the post in the Co-Operative Societies Department or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

VINAY KUMAR, Jt. Secy./Addl. District Magistrate (H.Q.)

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2007

सं. एफ. 9 (85)/07/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/13237.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना फेस-II के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय-बदरपुर कॉरीडोर के लिए वॉयडक्ट के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है किं निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है ।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के उपबंध इस भूमि पर लागू है, उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश है कि धारा 5 क के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग मी.)	प्रापर्टी का विवरण
बदरपुर	168.67	जे-1/बी-1, एक्सटेंशन प्रा. लिमि., मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 17th December, 2007

No. F. 9 (85)/07/L & B/LA/MRTS (S)/13237.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expenses for construction of viaduct for Central Secretariat-Badarpur Corridor of Delhi MRTS Project Phase II. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of Sub-section 1 of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

The Lt. Governor, Delhi is satisfied also that provisions of sub-section (1) of the section 17 of the said Act are applicable to this land and is further pleased under subsection (4) of the said section to direct that all the provisions of Section 5A shall not apply.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Sq.Mtrs.)	Particular of Property
Badarpur	168.67	J-1/B-1, Extension Pvt. Ltd., Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi.

सं. एफ. 9(79)/06/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/13252.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना फेस-II के अंतर्गत ग्रीन पार्क स्टेशन के एन्ट्री/एग्जिट स्ट्रक्चर, बॉक्स कन्सट्रक्शन और टनल वैन्ट शैफ्ट आदि के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है ।

Scanned by CamScanner

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के उपबंध इस भूमि पर लागू है, उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश है कि धारा 5 क के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग मी.)	खसरा नं	क्षेत्र (वर्ग मी.)
युसूफ सराय	1991.27 वर्ग मी.		

53 मिन व 54 मिन (535 वर्ग मी.), 68 मिन (446.27 वर्ग मी.), 73 मिन (87.25 वर्ग मी.), 74 मिन (871.25 वर्ग मी.) एवं 75 मिन (51.50 वर्ग मी.)

No. F. 9 (79)/06/L & B/LA/MRTS (S)/13252.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expenses for construction of Entry/Exit Structure, Box Construction & Tunnel Vent Shaft etc. in connection with Green Park Station of Delhi MRTS Project Phase-II. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of Sub-section 1 of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

The Lt. Governor, Delhi is satisfied also that provisions of sub-section (1) of the Section 17 of the said Act are applicable to this land and is further pleased under sub-section (4) of the said section to direct that all the provisions of Section 5A shall not apply.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Sq.Mtrs.)	Khasra No.	Area (Sq. Mtrs.)
Yusuf Sarai.	1991.27		

53 min and 54 min (535 Sqm), 68 min (446.27 Sqm), 73 min (87.25 Sqm), 74 min (871.25 Sqm) and 75 min (51.50 Sqm).

सं. एफ. 9(82)/06/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/13267.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना फेस-II के अंतर्गत सेंट्रल सेक्रेट्रिएट-बदरपुर कॉरीडोर के लिए वॉयडक्ट के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है ।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अभिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 9 (82)/06/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/11269 दिनांक 7-11-2007 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग मी.)	प्रापर्टी नं. एवं क्षेत्र का विवरण			
		प्रापर्टी नं.	क्षेत्र (वर्ग मी.)	प्रापर्टी नं.	क्षेत्र (वर्ग मी.)
हरकेश नगर	1708.462	जेड-61	43.811 वर्ग मी.	जेड-62	301.523 वर्ग मी.
		जेड-64	32.962 वर्ग मी.	जेड-65	154.109 वर्ग मी.
		जेड-66	239.100 वर्ग मी.	जेड-67	331.443 वर्ग मी.
		जेड-68	605.514 वर्ग मी.		

Scanned by CamScanner

No. F. 9 (82)/07/L & B/LA/MRTS (S)/13267.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Viaduct of Central Secretariat-Badarpur Corridor of Delhi MRTS Project, Phase II. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the land notified u/s 4 of L.A. Act, 1894 vide Notification No. F.9(82)/07/L&B/LA/MRTS(S)/11269 dated 07.11.2007 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7, of the said Act, the Land Acquisition Collector (South), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (South), Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Sq. Mtrs.)	Particular of Property No. and Area			
		Property No.	Area (Sq. Mtrs.)	Property No.	Area (Sq. Mtrs.)
Harkesh Nagar	1708-462	Z-61	43.811 Sqm.	Z.62	301.523 Sqm.
		Z-64	32.962 Sqm.	Z.65	154.109 Sqm.
		Z-66	239.100 Sqm.	Z.67	331.443 Sqm.
		Z-68	605.514 Sqm.		

सं. एफ. 9(82)/07/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/13268.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण), दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ. 9(82)/07/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/11269 दिनांक 07-11-2007 धारा 4 एवं संख्या एफ. 9(82)/07/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/13267 दिनांक 17-12-2007 धारा 6 में दिया हुआ है।

No. F. 9 (82)/07/L & B/LA/MRTS (S)/13268.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (South), Delhi to take possession of land the specification of which is given in the notification No. F.9(82)/07/L&B/LA/MRTS(S)/11269 dated 07-11-07 under section 4 and No.F.9(82)/07/L&B/LA/MRTS(S)/13267 dated 17-12-07 under Section 6 of the said Act on expiry of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of Section 9 of the said Act.

सं. एफ. 9(108)/06/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/13211.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना फेस-II के अंतर्गत सेंट्रल सेक्रेट्रेरिएट-कुतुब मीनार कॉरीडोर के लिए स्टेशन एवं वॉयडक्ट के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है। अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती हैं, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 9 (108)/06/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/11284 दिनांक 07-11-2007 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खसरा नं.	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
लद्धा सराय	1150.69	245 मिन	557.46 वर्ग मी.
		245 मिन	336.23 वर्ग मी.
		241 मिन	257.00 वर्ग मी.

No. F. 9 (108)/06/L & B/LA/MRTS (S)/13211.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of station and viaduct of Central Secretariat-Qutab Minar Corridor of Delhi MRTS Project Phase II. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

Scanned by CamScanner

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the land notified u/s 4 of L.A. Act, 1894 *vide* Notification No. F.9(108)/06/L&B/LA/MRTS(S)/11284 dated 7-11-2007 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (South), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (South), Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Sq. Mtrs.)	Khasra No.	Area (Sq. Mtrs.)
Ladha Sarai	1150.69	245 min	557.46 (Sq. Mtrs.)
		245 min	336.23 (Sq. Mtrs.)
		241 min	257.00 (Sq. Mtrs.)

सं. एफ. 9(108)/06/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/13212.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण), दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ. 9(108)/06/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/11284 दिनांक 7-11-2007 धारा 4 एवं संख्या एफ. 9(108)/06/भू. व भ./भू.अ./एमआरटीएस (द.)/13211 दिनांक 17-12-2007 धारा 6 में दिया हुआ है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा नाम पर,

ताराचन्द नाख, अतिरिक्त सचिव

No. F. 9 (108)/06/L & B/LA/MRTS (S)/13212.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (South), Delhi to take possession of land, the specification of which is given in the notification No. F. 9(108)/06/L&B/LA/MRTS(S)/11284 dated 7-11-2007 under section 4 and No.F.9(108) 06/L&B/LA/MRTS(S)/13211 dated 17-12-07 under Section 6 of the said Act on expiry of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of Section 9 of the said Act.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

T. C. NAKH, Addl. Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2007

सं. फा. 21 (18)/89/स्वा. एवं प. क./2522-28.—इस सरकार की दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 की पूर्व अधिसूचना सं. एफ. 21(18)/89/एच एण्ड एफ डब्ल्यू/186-90 के अतिक्रमण में तथा औषधि तथा प्रसाधन नियम, 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमती अनीता साहनी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन), औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव, लोक विश्लेषक, खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कास्मेटिक्स एवं अनुसूची ग तथा ग-1 विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य औषधियों के विश्लेषण के लिये सरकारी विश्लेषक नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. प्रकाश, अतिरिक्त सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th December, 2007

No. F. 21 (18)/89/H&FW/2522—28.—In supersession of this Government's previous notification No. F. 21(18)/89/H&FW/7186-90 dated the 22nd December, 2004 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (XXIII of 1940), read with rule 44 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the

5008 DG/07-2

Scanned by CamScanner

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Anita Sahni, Junior Scientific Officer (Chem.)/Drugs Testing Laboratory, Government National Capital Territory of Delhi and Smt. Mohini Srivastava, Public Analyst of the Department of Prevention of Food Adulteration, Government National Capital Territory of Delhi, as Government Analysts for the National Capital Territory of Delhi, for carrying out the tests and analysis of cosmetics and drugs other than those specified in Schedules C and C-1 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S. PRAKASH, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Scanned by CamScanner